* विधान सभा *

(अनुच्छेद – 170)

* विधान सभा राज्य के प्रथम, निम्न, लोकप्रिय, जनता का, अस्थायी सदन है।
* किसी भी राज्य में इसकी अधिकतम 500 व न्यूनतम 60 हो सकती है परन्तु कुछ राज्यों में 60 से कम है →

1. गोवा – 40
2. मिजोरम – 40
3. सिक्किम – 32
4. पुडुचेरी – 30

* चुनाव → जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
* योग्यता → 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो।
* कार्यकाल → 5 वर्ष
* चुनाव की विधि → बाहुल्य मतदान पद्धति / साधारण बहुमत पद्धति
* त्यागपत्र → विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं।
* शपथ → प्रोटेम स्पीकर / अंतरिम अध्यक्ष दिलाता है
* विधानसभा चुनाव के बाद राज्यपाल किसी एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। व उसे शपथ दिलाता है।
* विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है।
* यह विधानसभा के प्रथम सत्र की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा नये विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है।

* 20 July 2019. 3 बार दिल्ली की C.M रही शीला दीक्षित का निधन | कारगिल दिवस - 26 जुलाई

1998 से 2013 तक लगातार 15 वर्ष तक / आधुनिक दिल्ली की शिल्पकार

राज्य	पहले राज्यपाल	नये राज्यपाल
उत्तर प्रदेश	राम नाईक	आनंदीबेन पटेल
पश्चिम बंगाल	केसरीनाथ त्रिपाठी	जगदीप धनखड़
मध्यप्रदेश	आनंदीबेन पटेल	लालजी टंडन
बिहार	लालजी टंडन	फागु चौहान
त्रिपुरा	कप्तान सिंह सोलंकी	रमेश बैस
नागालैंड	पद्मनाभ आचार्य	आरएन रवि
केरल		आरिफ मोहम्मद
राजस्थान	कल्याण सिंह	कलराज मिश्र
तेलंगाना	नरसिम्हन	टी. सुंदरराजन
महाराष्ट्र	विद्यासागर	भगत सिंह
हिमाचल प्रदेश		बंडारू दत्तात्रेय

* इसका कार्यभार 0 शून्य होता है
* 15 वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर – गुलाबचन्द कटारिया है

* महत्वपूर्ण तथ्य →

* राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों के चुनाव, योग्यता व अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय राज्यपाल करता है।
* विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
* राष्ट्रीय आपात लागू होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।
* राजस्थान विधानसभा का प्रथम बार गठन 31 मार्च 1952 को हुआ था। इस समय इसकी सदस्य संख्या 160 थी। तथा राजस्थान के पुर्नगठन के बाद बढ़कर 190 हो गयी। तथा 1971 की जनगणना के आधार पर बढ़कर 200 हो गयी।
* विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा।
* विधानसभा के वर्तमान निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है।
* राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों की गणपूर्ति 1/10 या 10% होती है।
* • प्रथम विधानसभा अध्यक्ष – नरोत्तम लाल जोशी

* वर्तमान में 15वीं विधानसभा है।

* विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष → (अनुच्छेद-178)

* इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है।
* ये दोनो ही अपने पद की शपथ नही लेते।
* ये दोनो त्यागपत्र एक-दूसरे को देते है।
* इनका कार्यकाल नई विधानसभा के गठन तक होता है।
*
* विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां →

* यह विधानसभा की बैठके बुलाता है।
* बैठको की अध्यक्षता करता है।
* बैठको को स्थगित करता है।
* विधानसभा में अनुशासनहीनता व दल-बदल करने वाले सदस्यों पर कार्यवाही करता है।
* राज्य में धन विधेयको को प्रमाणित करता है।
* किसी विधेयक पर बराबर मत आने पर निर्णायक मत देता है।
* लगातार 60 बैठको में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है।
* अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष करता है।
* वर्तमान अध्यक्ष – सी.पी. जोशी (2019) (15वें)

* विधानसभा की शक्तियाँ →

1. साधारण शक्तियाँ → विधानपरिषद की जो साधारण शक्तियां है विधानसभा के भी वो साधारण शक्तियां है।

२. विशेष शक्तियाँ → ५.

१. मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी / जवाबदेह होते है अर्थात इन पर नियंत्रण विधानसभा रखती है।

२. विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राज्यसरकार को पद से हटा सकती है।

३. राज्य के धन / वित्त पर नियंत्रण विधानसभा रखती है।

५. राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव एवं कामरोको प्रस्ताव विधानसभा में ही प्रस्तुत व पारित किये जाते है।

Note → * अविश्वास एवं कटौती प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

** राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नही है।